भाग III

हरियाणा सरकार

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 फरवरी, 2009

संख्या का० आ० 24/ह० अ० 12/99/धा० 24(1)/2009.— हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का अधिनियम 12), की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है ; अर्थात :–

1. ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 2009 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में, उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

> "(1) सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन पंजीकृत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम या फर्म या सोसाईटी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के अधीन सृजित कोई न्यास या कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), के अधीन पंजीकृत कम्पनी जो हरियाणा राज्य में विद्यालय स्थापति करने, या स्तरोन्नत करने, या पहले से चल रहे विद्यालय को आगे चलाने की इच्छा रखते हैं तो वे निदेशक के पूर्व अनुमोदन तथा अनुज्ञा से ऐसा करेंगे । विद्यालय प्राधिकारी इन नियमों में विनिर्दिष्ट मानकों का अनुसरण करेंगे।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 20 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(2) नियम 18 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन, विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शैक्षणिक कैलेण्डर में यथा परिचालित/अधिसूचित सभी राजपत्रित अवकाश/ अवकाश मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए प्राधिकृत होंगे" ।

4. उक्त नियमों में, नियम 29 में "प्ररूप-I" शब्द तथा अक्षर के स्थान पर, "विभाग द्वारा यथा निर्धारित प्ररूप" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त नियमों में, नियम 30 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (ख) भूमि एवं विद्यालय भवन हेतु निर्धारित मानक –

(i) भूमि –

विद्यालय	ग्रामीण/ शहरी/ नियंत्रित क्षेत्र
प्राईमरी विद्यालय	0.5 एकड़
मिडिल विद्यालय	1.0 एकड़
माध्यमिक विद्यालय	2.0 एकड़
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	2.0 एकड़

परन्तु हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 के प्रारम्भ से पहले मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त चल रहे विद्यालयों के लिए भूमि के मानकों में निम्नानुसार ढील दी जा सकती है :-

विद्यालय	ग्रामीण/शहरी/नियंत्रित क्षेत्र (एक मंजिला भवन के लिए)	ग्रामीण/शहरी/नियंत्रित क्षेत्र (दो मंजिला भवन के लिए)
प्राईमरी	500 वर्ग मीटर	350 वर्ग मीटर
मिडल	800 वर्ग मीटर	600 वर्ग मीटर
माध्यमिक	2000 वर्ग मीटर	1500 वर्ग मीटर
वरिष्ठ माध्यमिक		
(i) (कला तथा वाणिज्य)	3000 वर्ग मीटर	2250 वर्ग मीटर
(ii) (कला/वाणिज्य तथा विज्ञान)	4000 वर्ग मीटर	3000 वर्ग मीटर

उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे विद्यालय विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार युक्तियुक्त दूरी के भीतर पर्याप्त खेल के मैदान का प्रबन्ध करेंगे। यदि खेल के मैदान की दूरी विद्यालय से 500 मीटर से अधिक है तब विद्यालय प्राधिकारी विद्यार्थियों को मुफ्त यातायात सुविधा प्रदान करेंगे ।

विद्यालय, सरकारी विद्यालयों से किसी शैक्षणिक संस्था, स्टेडियम, खुले स्थान को जोड़ सकती है जो स्थानीय निकायों के मैदान के रूप में प्रयुक्त हो । खेल का मैदान रखने वाले किसी प्राधिकरण से दो विद्यालय तक जोड़े जा सकते है :

परन्तु यह और कि भूमि के ढील दिए गए मानकों विद्यालयों (पथकरूप से संख्या 8/7-09 पी0 एस0 (2), दिनांक 21-2-09 द्वारा अधिसूचित) जो 31 .03. 2007 से पूर्व अस्तित्व में थे तथा जिन्होने 10. 04. 2007 तक मान्यता /स्तरोन्नत के लिए आवेदन किया हो, को भी लागू होंगे ।

आच्छादित क्षेत्र तथा खुला क्षेत्र 35% /65% के अनुपात में होगा। तथापि, जहां शहरी स्थानीय निकाय अथवा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग द्वारा निहित फलोर क्षेत्र अनुपात मानक, उनको लागू होंगे।

टिप्पणः – निजि विद्यालय किसी भी ऐसी भूमि पर जो कम से कम बीस वर्ष की अवधि के अप्रवर्तनीय पट्टाविलेख के साथ पट्टाधृति आधार पर किराए पर लिये गये भवन/भूमि में चलाया जा सकता है बशर्ते कि ऐसा विद्यालय इन नियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट भूमि तथा भवन के मानक पूरे करता हो ;

(ii) भवन–

(क) कक्षा कक्ष : न्यूनतम आकार 24' X 18' या समकक्ष क्षेत्र कक्षाकक्ष की ऊंचाई कम से कम 10 फुट होगी :

परन्तु विद्यालय जो इन नियमों के अधीन ढील दिए गए भूमि मानकों को पूरा करते हैं, इन नियमों के नियम 34 के उपनियम (2) में गठित समिति द्वारा, ढील के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विचारे जा सकते हैं :–

(i) ऐसी छूट के कारण अभिलिखित है;

(ii) माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा के लिए प्रति छात्र कम से कम 10 वर्ग फुट तथा प्राईमरी/नर्सरी स्तर के लिए 9 वर्ग फुट प्रति छात्र उपबंधित है ;

(iii) छात्रों की अधिकतम संख्या, जो कक्षा कक्ष में आ सकती है विनिर्दिष्ट है ;

(ख) कक्षा कक्षों की संख्या विद्यालय में अनुभागों की संख्या के बराबर होगी। कक्षा कक्ष में दो दरवाजे, खिड़कियों की अपेक्षित संख्या तथा उचित वायु संचार होगा ;

(ग) कक्षा कक्ष में विधार्थियों की संख्या, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 10 वर्ग फुट प्रति छात्र तथा प्राथमिक स्तर/नर्सरी स्तर के लिए 9 वर्ग फुट प्रति छात्र, के आधार पर संगणित विद्यार्थियों से अधिक नहीं होगी की शर्त के अध्यधीन अनुभाग में, विद्यार्थियों की संख्या, पचास से अधिक नहीं होगी ;

(घ) बरामदा –

प्रत्येक कक्षा कक्ष के साथ एक बरामदा होगा :

सिंगल लोडिड के लिए चौड़ाई में 8 फुट;

डब्बल लोडिड के लिए चौड़ाई 10 फुट :

परन्तु विद्यालय जो इन नियमों के अधीन ढील दिए गये मानकों को पूरा करते हैं, बरामदे के लिए मानक नीचे दिए गए अनुसार होंगे : –

सिंगल लोडिड के लिए चौड़ाई में 6 फुट;

डब्बल लोडिड के लिए चौड़ाई में 8 फुट;

(ड.) विद्यालय निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा :–

* प्रसाधन तथा पेशाब घर (स्टाफ, लड़कों तथा लड़कियों के लिए पृथक् उचित दूरी पर) प्रत्येक 200 विद्यार्थियों के बाद अतिरिक्त प्रसाधन जोडने होंगे
* बिजली सुविधा
* पीने के पानी की सुविधा
* चारदीवारी
* प्रातः कालीन सभा के लिए उचित स्थान;

(च) मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की दशा में, कक्षा कक्षों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त कक्षों का प्रबन्ध करना होगा :–

* विद्यालय के मुखिया के लिए कक्ष
* कार्यालय कक्ष
* स्टाफ कक्ष
* पुस्तकालय कक्ष

* व्यवहारिक विषय के लिए प्रयोगशाला के लिए कक्ष : (स्ट्रीम/प्रत्येक विषय के अनुसार)

* कम्प्यूटर प्रयोगशाला के लिए एक कक्ष विद्यालय में कर्मचारियों तथा विद्यालय प्रबन्धन प्रयोजन के लिए मोडम तथा इन्टरनेट कनेक्शन सहित कम से कम एक कम्प्यूटर होगा;

(छ) प्रत्येक विद्यालय में कुर्सी की सतह पर एक रैम्प की व्यवस्था होगी;

(ज) विद्यालय भवन एक से अधिक मंजिला होने पर कम से कम 6 फुट चौड़ा एक रैम्प तथा एक सीढी की व्यवस्था होगी :

परन्तु विद्यालय जो इन नियमों के अधीन ढील दिए गए मानकों को पूरा करते हैं। सीढ़ियों तथा रैम्प के लिए मानक निम्न अनुसार होंगे : –

सीढ़ी : 4.6 फुट चौड़ी	भवन में दो सीढ़ियों के बीच का फसला 100 फीट से अधिक नहीं होगा, अधिक फासला होने पर अतिरिक्त सीढ़ियों का प्रबन्ध किया जाएगा;
रैम्प : 6 फुट चौड़ा	यदि विद्यालय रैम्प उपलब्ध नहीं करता है तो उन्हें विकलांग विद्यार्थियों के लिए कक्षा कक्ष का प्रबन्ध भूतल पर करना होगा।

टिप्पण: –नियम–34 के अधीन पदाभिहित समुचित प्राधिकारी, 10 प्रतिशत तक भूमि तथा भवन के आकार में ढील देने के लिए सक्षम होगा तथा थोड़ा परिर्वतन भी करने के लिए अनुज्ञात होगा जो विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से अन्यथा प्रभावित नहीं होगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 31 में, उपनियम (1) में, –

(i) "प्ररूप II" शब्द तथा अक्षर के स्थान पर, "विभाग द्वारा यथा विहित प्ररूप" शब्द प्रतिस्थापति किए जाएगें ;

(ii) "30 दिसम्बर" अंक तथा शब्द के स्थान पर, "31 दिसम्बर" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु विद्यालय जो इन नियमों के अधीन भूमि मानक छूट के लिए योग्य हैं, उन्हें मान्यता या स्तरोन्नत के प्रयोजन के लिए उपरोक्त कम संख्या 6 पर निर्दिष्ट प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।"।

7. उक्त नियमों में, नियम 34 में, –

(i) उपनियम (1) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु विद्यालय जो छूट दिए गए भूमि मानकों को पूरा करते हैं, (अलग से आदेश कमांक 8/7-09 पी0 एस0 (2), दिनांक 21-2-09 द्वारा अधिसूचित किया गया है) इन नियमों के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समिति जो विद्यालय कक्षा I – V, 1-VIII, 1– X तथा XI - XII तक की मान्यता का इच्छुक हो को मान्यता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी ।";

(ii) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(2) समुचित प्राधिकारी से प्राप्त मान्यता हेतु मामलों के प्रसंस्करण तथा सिफारिश के लिए जिला स्तर समिति होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी अर्थात् :–

उपायुक्त	अध्यक्ष
अपर उपायुक्त	सदस्य
सम्बद्ध उपमण्डल अधिकारी (नागरिक)	सदस्य
जिला शिक्षा अधिकारी या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी तथा प्राईमरी विद्यालयों के लिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव।";

(iii) उपनियम (5) में, "प्ररूप II" शब्द तथा अक्षर के स्थान पर, "विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) उपनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जायेगा अर्थात् :–

"(6) विद्यालय के लिए जो इन नियमों के अधीन ढील दिए गए मानकों को पूरा करते हैं इस नियम के उप–नियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट

समिति, निदेशक विद्यालय शिक्षा द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/मार्गनिर्देशनों के ब्यौरों के अनुसार सक्षम होगी,-

(i) उन विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जो भूमि छूट की शर्तों के लिए योग्य हैं;

(ii) भवन तथा भूमि की उपलब्धता के अनुसार शर्तों की तुलना में जिस विद्यालय को मान्यता दी जा सकती है, का स्तर विनिश्चित करना;

(iii) भूमि शर्तों में 10% तक की छूट प्रदान करना;

(iv) जो विद्यालय भूमि तथा भवन जो किसी स्तर के लिए मानक पूर्ण नहीं करते, उनकी मान्यता अस्वीकृत करना;

(v) कक्षा कक्ष तथा कक्षा क्षेत्रफल के आधार पर माध्यमिक/वरिष्ठ कक्षाओं के लिए 10 वर्गफुट तथा प्राईमरी स्तर/नर्सरी स्तर के लिए 9 वर्ग फुट प्रति छात्र के आधार पर विधार्थियों की संख्या निर्धारित करना । यदि कोई विद्यालय इन नियमों की अधिसूचना से एक वर्ष के भीतर स्थानीय उप नियमों के अनुसार नये कमरे निर्मित करता है तो समिति उसी प्रकिया का अनुसरण करते हुए प्रत्येक कक्षा कक्ष तथा विद्यालय के लिए छात्रों की संख्या में छूट प्रदान कर सकती है ।

8. उक्त नियमों में, नियम 38 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**38** कोई नई मान्यता न करना" -धारा 3 तथा 24 (2) (क), (ख) तथा (घ).-विद्यामान मान्यताप्राप्त /मान्यताप्राप्त समझे गए विद्यालय जो 30 अप्रैल, 2003 से पहले चल रहे हैं को विभाग से कोई नई मान्यता या अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं करना होगा । यद्यपि वे राजपत्र में इन नियमों की अधिसूचना की तिथि से छह मास के भीतर विभाग द्वारा यथाविहित प्ररूप में अभिलेख के उद्देश्यों के लिए उनकी भूमि तथा भवन के सम्बन्ध में विवरणियां प्रस्तुत करेंगे।"।

9. उक्त नियमों में, नियम 82 में, उपनियम (2) के बाद, निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

"व्याख्या-उपनियम (2) में निर्दिष्ट "उच्च योग्यता" से अभिप्राय है, परिशिष्ट क के खाना 3 में यथाविनिर्दिष्ट मूल योग्यता से अधिक अधिकृत योग्यता।"।

10. उक्त नियमों में, नियम 91 में, उपनियम (8) के बाद, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"(9) यदि कोई महिला कर्मचारी जो किसी बच्चे को गोद लेती है जिसकी आयु एक वर्ष से अधिक न हो, तो सक्षम प्राधिकारी उसे छह मास का, समय--समय पर विभाग द्वारा जारी निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार मातृत्व अवकाश के लिए ग्राह्य नैसर्गिक माता के आधार पर, बच्चा गोद अवकाश प्रदान कर सकता है।"।

11. उक्त नियमों में, नियम 134 क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"134 क, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गरीब गुणवान छात्रों के लिए आरक्षण। धारा 24 (2) तथा 15 – मान्यताप्राप्त निजी विद्यालय 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गरीब गुणवान छात्रों के लिए आरक्षित करेंगे। विद्यालय इन छात्रों से सरकारी विद्यालयों में यथा प्रभारित दर से फीस प्रभारित करेंगे।"।

12. उक्त नियमों में परिशिष्ट क में, क्रम संख्या 6 के सामने, खाना 3 के नीचे, प्रविष्टि (1) के स्थान, पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : –

"(i) एक वैकल्पिक / इलैक्टिव विषय के रूप में अंग्रेजी सहित स्नातक।"।

13. उक्त नियमों में, प्ररूप I तथा II का लोप कर दिया जाएगा ।

राजन गुप्ता,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 21st February, 2009

No. S. O. 24/H.A. 12/99/S. 24(1)/2009.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana School Education Act, 1995 (Act 12 of 1999), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, further to amend the Haryana School Education Rules, 2003, namely:—

1. These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2009.

2. In the Haryana School Education Rules, 2003 (hereinafter called the said rules), in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(i) Any individual or association of individuals or firm or society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or trust created under the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), or company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), desiring to establish school or upgrade or continue to function in the State as a school, shall do so with prior approval or permission of the Director. The school authority shall follow the norms specified under these rules.".

3. In the said rules, in rule 20, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Subject to the provision of sub-rule (1) of rule 18, all holidays/vacations as circulated / notified by Department in the Academic calendar issued from time to time, shall be the authorized holidays for recognized schools.".

4. In the said rules, in rule 29, for the word and letter "Form I", the words "Form as specified by the Department" shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 31, in sub-rule (1),—

(i) for the word and letters "Form II", the word "Form as specified by the Department" shall be substituted;

(ii) for the figures, letters and word "30th December", the figures, letters and word "31st December" shall be substituted ;

(iii) for sign ".", the sign ":" shall be substituted ;

(iv) the following proviso shall be added, namely: —

"Provided that the schools which qualify for relaxed land norms under these Rules, shall not be required to attach certificate referred to above at Serial No. 6 for the purpose of recognition or up-gradation.".

7. In the said rules, in rule 34, —

(i) After Sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely:

"Provided that for the schools which qualify for the relaxed land norms (separately notified *vide* No. 8/7-09 PS (2), dated 20.02.2009), the committee specified in sub rule (2) of this rule shall be the appropriate authority to grant recognition to the schools which seek recognition for class I – V, I – VIII, I - XII and XI – XII.".

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(2)There shall be a District Level Committee for processing and recommending the cases of recognition received from the appropriate authority consisting of the following members, namely :-

Deputy Commissioner	: Chairman
Additional Deputy Commissioner	: Member
Sub Divisional Officers (Civil) concerned	: Member
District Education Officer or District Elementary Education Officer (DEO for Sec. & Sr. Sec. Schools and DEEO for Elementary schools)	: Member–Secretary." ;

(iii) **In sub-rule (5),** for the word and figures "Form-II" the words "Form as specified by the Department", shall be substituted;

5. In the said rules, in rule 30, in sub-rule (I), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: —

"(b) Minimum norms for land and buildings—

(i) Land —

School	Rural/Urban/ Controlled areas
Primary	0.5 Acre
Middle	1.0 Acre
Secondary	2.0 Acre
Senior Secondary	2.0 Acre

Provided that the norms of land for the schools running recognized/ unrecognized before commencement of Har, ana School Education Rules, 2003, may be relaxed as under:—

Schools	Rural/Urban/ Controlled areas (for single storey building)	Rural/Urban/ Controlled areas (for double storey building)
Primary	500 Square Meters	350 Square Meters
Middle	800 Square Meters	600 Square Meters
Secondary	2000 Square Meters	1500 Square Meters
Senior Secondary		
(i) Arts and Commerce	3000 Square Meters	2250 Square Meters
(ii) Arts/Commerce and Science	4000 Square Meters	3000 Square Meters

In addition to above, such schools shall provide or make arrangement for adequate playground within a reasonable distance according to the number of students. If the distance of playground is more than 500 meters from the school than the school authority shall provide free transportation to the students.

The school can tie-up with the government schools, any educational institution, stadium, open space used as playground of local bodies. Upto two schools can tie-up with one authority managing the playground:

Provided further that these relaxed norms of land shall also be applicable to the schools (separately notified vide No. 8/7-09 PS (2), dated 21.02.2009) that were in existence before 31.03.2007 and had applied to the department by 10.04.2007 for recognition/up-gradation.

The covered area and open area shall be in the ratio of 35% / 65%. However, where the Urban Local Bodies or Town and Country Planning Department have prescribed different Floor Area Ratio norms, the same shall be applicable.

Note: - A private school can be run in a rented building or land on irrevocable lease hold basis with a minimum period of twenty years; provided such school fulfills the norms ot land and building as specified under these rules.

(ii) Building—

(a) classroom: Minimum size - 24' x 18' or equivalent area. Height of classroom shall be at least 10 feet:

Provided that the schools which qualify for the relaxed land norms under these rules can be considered by the committee constituted in sub rule(2) of rule 34 of these rules for relaxation subject to the following conditions namely :

(i) reasons for such relaxation are recorded;

(ii) minimum 10 square feet area per student for Secondary and Senior Secondary classes, and 9 square feet per student for elementary stage/nursery stage is provided;

(iii) maximum number of students which can be accommodated in the classroom is specified ;

(b) number of classrooms shall be equal to the number of sections in the school. The classroom shall have two doors, requisite number of windows and proper ventilation;

(c) number of students in a section shall not be more than fifty, subject to the condition that number of students in the classroom shall not be more than the students calculated on the basis of 10 square feet per student for secondary and senior secondary classes, and 9 square feet per student for elementary stage/ nursery stage;

(d) veranda —

There shall be veranda with every class room:

8 feet in width for single loaded;

10 feet in width for double loaded :

Provided that for the schools which qualify for relaxed land norms under these rules, the norms for veranda shall be as under: —

6 feet in width for single loaded;

8 feet in width for double loaded;

(e) the school shall provide the following facilities:—

- Toilet and urinals (staff, boys and separate for girls at a far off distance). Additional toilet to be added after every 200 students
- Electricity facility
- Drinking water facility
- Boundary wall
- Proper space for morning assembly;

(f) in case of middle, high and senior secondary school, the following rooms in addition to class-rooms shall be provided:-

- Room for head of the school
- Office room
- Staff room
- Library room
- Laboratory for practical subject (according to the stream/each subject)
- One room for Computer Laboratory. The school shall have at least one computer with modem and internet connectivity for official and school management purpose;

(g) every school shall provide ramp at plinth level.

(h) the school building having more than one storey shall provide one ramp and one staircase of at least 6' width:

Provided that for the schools which qualify for relaxed land norms under these rule, the norms for stairs and ramp shall be as under:—

Stair: 4.6 feet in width. The additional stairs shall be provided after linear distance along the building between two staircase shall not be more than 100 feet.

Ramp: 6 feet in width. If the school do not provide ramp than they shall arrange the classes of handicapped students at the ground floor.

Note: - The appropriate authority designated in rule 34 shall be competent to relax the norms of land and building upto ten percent and also allow minor variations which would otherwise not affect health and safety of students and staff".

(iv) **after sub-rule (5)**,the following sub-rule shall be added, namely:—

"(6) For the schools which qualify for relaxed norms under these rules, the Committee specified under sub-rule (2) of this rule shall be competent, as per detailed instructions/ guidelines issued by the Director School Education from time to time to, —

(i) grant recognition to schools that qualify for relaxed land norms;

(ii) decide the stage upto which the school can be recognized according to the availability of land and building vis-à-vis norms;

(iii) relax land norms upto 10%;

(iv) refuse recognition to those schools which do not fulfill the land and building criteria for any stage;

(v) fix the number of students on the basis of number of class-rooms and class room area on the basis of 10 square feet per student for secondary and senior classes and 9 square feet per student for elementary stage/nursery stage. If a school constructs more rooms within one year of notification of these rules as per the local bye-laws, the number of students for each class room and the school as a whole can be refixed by the committee by following the same procedure.".

8. In the said rules, for rule 38, the following rule shall be substituted, namely: –

"38 No fresh recognition.— section 3 and 24(2) (a), (b) and (d),— Existing recognized/deemed recognized schools running before 30th April, 2003 shall not have to seek any fresh recognition or No Objection Certificate from the Department. However, they shall have to submit returns regarding their land and building in the Form as specified by the Department for record purposes within six months from the date of notification of these rules in the Official Gazette.".

9. In the said rules, in rule 82, after sub-rule (2), the following explanation shall be added, namely:—

"Explanation.– "Higher qualification" referred to in sub rule (2) means the qualification possessed over and above the basic qualification as specified in column 3 of Appendix A .".

10. In the said rules, in rule 91, after sub-rule (8), the following sub-rule shall be added, namely:—

"(9) The competent authority may grant child adoption leave for a period of six months to a female employee who adopts a child not exceeding one year of age on the lines of maternity leave admissible to natural mothers as per the terms and conditions issued by the Department from time to time .".

11. In the said rules, for rule 134-A, the following rule shall be substituted, namely:—

"134A. Reservation for meritorious students' belonging to economically weaker sections. sections 24(2) and 15. The recognized private schools shall reserve 25% seats for meritorious students' belonging to economically weaker sections. The school shall charge fee from these students at the same rate as charged in Government schools.".

12. In the said rules, in Appendix-A, against serial number 6, under column 3 for entry (i), the following entry shall be substituted, namely: —

"(i) Graduate with English as one of the optional/elective subjects".

13. In the said rules, Forms I and II shall be omitted.

RAJAN GUPTA,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government, Haryana,
Education and Languages Department.